


टिकिट उपलब्ध होने पर चरण किया जाएगा /

आर.पी. (2018)

65



न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018 विविध

विविध-3186/2018 शिवा भू-र

1. मोतीलाल पटेल पुत्र श्री रामसमुन्दर पटेल
 2. मुनिराज पटेल पुत्र श्री रामसमुन्दर पटेल
 3. रामलाल पटेल पुत्र श्री गजाधर पटेल
 4. रामनिरख पटेल पुत्र श्री गजाधर पटेल
 5. श्रीमती धोखिया पत्नी श्री मुनिराज पटेल
- सभी निवासीगण- ग्राम मौहरिया, तहसील मरुगंज, जिला रीवा, म0प्र0

—आवेदकगण

बनाम

1. विनायक प्रसाद पटेल पुत्रश्री शिवनाथ पटेल
 2. गंगाप्रसाद पटेल पुत्र श्री वीरभान पटेल
 3. बैजनाथ पटेल पुत्र श्री जमुना पटेल
 4. यदुनाथ पटेल पुत्र श्री जमुना पटेल
- सभी निवासीगण- ग्राम मौहरिया, तहसील मरुगंज, जिला रीवा, म0प्र0—अनावेदकगण

आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 वास्ते प्रकरण क्रमांक 28/III/2008/ निगरानी व उनवान मोतीलाल पटेल आदि बनाम विनायक प्रसाद पटेल आदि आदेश दिनांकी 25/07/2016 जो अदम पैरवी में खारिज की गई थी, को पुर्नस्थापित कर उसका निराकरण गुण-दोषों पर किये जाने बावत्।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

श्री मोतीलाल पटेल
द्वारा 25/07/18
प्रस्तुत! प्रा. 25/07/18 तर्क हेतु
दिनांक 29/05/18

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

295/18

आर.पी. (2018)

M-~~111~~ 3186/2018 रीवा-

20/6/18

आवेदक अमिठ के नंबर विचारणीय
 रेशी. में आवेदक अमिठ अति अल्पकाल
 समाधान कालक होने से यह प्रकृति
 अमिठ विधान 202-III/08 में
 पति अति अल्पकाल 25/7/16 पुनः
 नया प्रकृति अमिठ अति अल्पकाल
 आने है

- 2- यह रेशी अवेदन अति अल्पकाल -
 समाधान आने है
- 3- प्रकृति 41-9-18

